

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प. 20(1)साप्र / 2/11

जयपुर, दिनांक : 14.6.2011

—: आदेश :—

श्री मुकेश चन्द्र माथुर, कनिष्ठ अनुदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, केन्द्रीय कारागार, जयपुर को उनकी एफ श्रेणी की वरियता संख्या 168 एवं सेवा निवृत्ति दिनांक 31.10.2025 के आधार पर इस विभाग के समसंबंधिक आदेश दिनांक 9.6.2010 के द्वारा उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर आवंटित राजगारीय आवास संख्या एफ-91 गॉधीनगर, जयपुर के स्थान पर एफ-470 गॉधीनगर, जयपुर पूर्व शती पर एतद्वारा आवंटित/परिवर्तित किया जाता है।

आज्ञा से,

३०

(ननफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, जयपुर।
3. अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, केन्द्रीय कारागार, जयपुर जयपुर।
4. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
5. प्रबन्ध निदेशक, राजकौम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावे।
6. अधिशासी अभियन्ता, साठनी०वि०/जन स्वा० अभि० वि०/जयपुर वि०वि०निगम लि०, गॉधीनगर, जयपुर।
7. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गॉधीनगर, जयपुर।
8. संबंधित कार्मिक को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का कब्जा लेकर पूर्व में आवंटित आवास 15 दिवस में रिक्त करने का श्रम करें।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
10. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव